

संयुक्त न्यायिक सेवा अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत 2016

संयुक्त न्यायिक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016

क्रमांक -

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम सुधीर कुमार नौकरीकर 2. वर्तमान धारित पद सिविल सुपरवाइजर 3. कार्यालय का नाम काठियावाड़ अभिप्रेता (आति.ड.या-निर्माण) संभाग के कार्यालय, ज.ब.पूर.
4. वर्तमान वेतन 25850/- 5. मकिय निधि क्रमांक 12611604 6. कर्मचारी संख्या 90443118

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि साथ के नाम पर न हो तो बतलाइये कि किसके नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यापार	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
म.नं. 1074-1 नयाब. 1413 श्रीलक्ष्मी के पास सिद्धिपुर जिला के पास श्रीलक्ष्मी नगर जबलपुर	616 वर्ग फुट घाट बरिंदा	13,00,000/-	स्वयं के नाम पर	08/12/10/2000 श्रीलक्ष्मी के पास श्रीलक्ष्मी नगर जबलपुर			

हस्ताक्षर: सुधीर कुमार नौकरीकर दि. 23/11/2016
 नाम: सुधीर कुमार नौकरीकर
 पद: सिविल सुपरवाइजर

- * जहां लागू न हो काट दीजिए
- ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य मध्य शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा से प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसका स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।

इस कार्यालय उपलब्ध कपया जाना सुनिश्चित करें।
 संलग्न - उपरोक्तानुसार